गुजरात और महाराष्ट्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाएं

*128. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में विदेशी अभिकरणों तथा गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा वित्तपोषित उन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना है,

(ख) विदेशी अभिकरणों तथा गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा वित्तपोषित किए जाने हेतु हाल के वर्षों में जिन परियोजनाओं का चयन किया गया है उनके नाम क्या हैं, और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री के० राममूर्ति): (क) से (ग) फिलहाल, गुजरात राज्य में ओ एन जी सी की ऐसी केवल एक परियोजना अर्थात् गंधार विकास चरण-2 परियोजना क्रियान्वयनाधीन है। परियोजना का अंशतः वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) से विदेशी मुद्रा ऋण द्वारा किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान तेल या प्राकृतिक गैस की ऐसी कोई अन्य परियोजना नहीं है जिसे विदेशी एजेंसियों और गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा वित्तपोषण के लिए चुना गया हो।

गंधार परियोजना के संबंध में ग्रुप समूहन स्टेशन के संस्थापन से संबंधित केवल एक पैकेज पूरा किया जाना शेष है। सरकार द्वारा परियोजना पर तिमाही प्रगति समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित निगरानी रखी जा रही है और जहां कहीं आवश्यक होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

कम्प्यूटरों की 'वाई टू के' की समस्या

*129. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या **इलेक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने कम्प्यूटरों की 'वाई टू के' समस्या से निपटने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) उक्त समस्या के कारण रक्षा, बैंकिंग, नागर विमानन आदि के क्षेत्र में क्या कठिनाईयां आने की संभावना है; और

(ग) इस समस्या से निपटने में कितना व्यय होने का अनुमान है?

विदेश मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार ने भारत में वर्ष 2000 समस्या के प्रभाव का सामना करने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सशक्त कार्य दल का गठन किया है। इस कार्यदल के विचारार्थ विषय नीचे दिए अनुसार हैं।

(i) देश में ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना जिनकी देश में वर्ष 2000 समस्या का सामना करने के लिए निगरानी करने की आवश्यकता है।

(ii) वर्ष 2000 समस्या से संबंधित उपचारात्मक कार्य के लिए संबंधित संगठनों/एजेंसियों द्वारा क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार कराना।

(iii) कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की आवधिक रूप से निगरानी करना।

(iv) संगठनों, संसद, प्रेस, तथा जनता की प्रभावित श्रेणियों में जागरूकता पैदा करने की योजनाएं बनाना।

(v) भारत में वर्ष 2000 समस्या के समाधान के लिए 700 करोड़ रुपए की एक सामूहिक निधि की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(vi) कम्प्यूटर पर आधारित कार्यों तथा उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर वर्ष 2000 समस्या के प्रभाव का सामना करने के लिए विभिन्न सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कम्पनियों तथा अन्य प्रभावित संगठनों/कार्यकलापों के लिए सामूहिक निधि में से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र का विकास करना।

(vii) विभिन्न क्षेत्रों के लिए आकस्मिक कार्य योजनाएं तैयार रखना ताकि वर्ष 1999 के बाद की संभावित स्थितियों का सामना किया जा सके।

इलेक्ट्रानिकी विभाग ने वर्ष 2000 अनुजीवन : एक व्यवसायी की गाइड' सभी संबंधित संगठनों को जारी की है तथा सॉफ्टवेयर उद्योग के साथ मिलकर भारतीय वाई 2 के समाधान प्रदानकर्ता तथा अनुपालन कम्पनियों की एक निर्देशिका भी प्रकाशित की है एक वेबसाइट 2 के०गव० इन का सृजन किया गया है जिसमें सभी संबंधित जानकारी होती है। इसके महत्वपूर्ण देशों के वाई 2 के स्थल से अतिरिक्त सम्पर्क हैं।

सरकारी विभागों को इस विषय की जानकारी पहले ही है तथा उन्होंने वाई 2 के अनुपालन के लिए किए जाने वाले कार्य के समन्वय के लिए आंतरिक कार्य दलों का गठन किया है/कार्रवाई शुरू की है। उनकी प्रगति की समीक्षा कार्यदल द्वारा सरकार में उच्चतम स्तर पर की जा रही है।

(ग) होने वाले संभावित व्यय के बारे में अभी तक कोई आर्थिक आकलन नहीं किया गया है।

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र नेटवर्क का विकास

*130. **श्री नरेश यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र के नेटवर्क का विकास करने संबंधी लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या अब तक की उपलब्धि लक्ष्य से बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं: और

(घ) उपलब्धि की दर में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) कृषि क्षेत्र के विकास के लिये 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.57% रही है; जबकि वर्ष-वार वृद्धि दर 1996-97 के लिये 9.6%, 1997-98 के लिये 1.3% तथा 1998-99 के लिए 5.4% रही है।

(ग) कृषि क्षेत्र की वृद्धि में उतार-चढ़ाव मुख्यतया देश के विभिन्न भागों में जलवायु तथा मौसम संबंधी दशाओं की परिवर्तनशील प्रवृत्ति के कारण आता रहा है। तथापि, कृषि क्षेत्र में वर्षों से दीर्घकालीन वृद्धि बनी हुई है।

(घ) कृषि क्षेत्र की वृद्धि में तेजी लाने के लिए सरकार अनाजों, दालों, तिलहनों, कपास, गन्ना, पटसन तथा बागानी फसलों से संबंधित फसल विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, सरकार किसानों को मूल्य तथा मंडी समर्थन प्रदान कर रही तथा सिंचाई सुविधाओं आदि का और अधिक क्षेत्रों में विस्तार कर रही है। शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में सरकार ने क्षेत्रीय दृष्टि से भिन्न भिन्न विकास कार्य नीतियां अपनाकर कृषि अवसंरचना का सृजन करके तथा संसाधनों का और अधिक प्रभावी उपयोग करके आगामी 10 वर्षों में खाद्य उत्पादन को दोगना करने संबंधी प्राथमिकताओं का निर्धारण किया है।

Increase in the Price of Petroleum Products

*131. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the number of times the prices of cooking gas, petrol and diesel increased during last three years (date and year-wise);

(b) the reasons which led to the increase of the prices of these petroleum products;

(c) whether Government have any proposal to avoid the frequent increase of the prices of these items; and

(d) if so, the details of the steps taken in that regard?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI K. RAMA MURTHY): (a) and (d) The ex-storage point prices (exclusive of excise, freight and local levies) of diesel (HSD) were increased thrice during the last three years effective 3.7.1996, 2.9.1997 and 25.12.1997. The ex-storage point prices of Petrol (MS-87) were increased twice during the same period effective 3.7.1996 and 2.9.1997. In respect of LPG (Packed Domestic), the prices were increased thrice during last three years effective 3.7.1996, 2.9.1997 and 1.2.1999. These revisions were made to partially compensate for the increase in international prices and to reduce the deficit in the Oil Pool Account. The changes in the diesel prices and now made in accordance with the Governments decision taken in September 1997 to fix the prices of HSD on import parity basis.